

कृष्णपरिपत्र सं० - २०२१/१८

पत्रसं०- विधि 4(3)/ 2020-21//

269

// वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ:: 17/09/2020

विषय:- मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रसं०-विधि अनुभाग/2020-21/ 260 / वाणिज्य कर दि०-11.09.2020 -
वैट के वादों का ऑनलाइन हियरिंग किये जाने के सम्बन्ध में ।

शुद्धि-पत्र

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी परिपत्रसं०-विधि अनुभाग/2020-21/ 260 / वाणिज्य कर दि०-11.09.2020
के प्रथम प्रस्तर की चतुर्थ पंक्ति में "समय सीमा 21.03.2020" के स्थान पर "समय सीमा 31.03.2020" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

~~A~~
(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।